

सम्भाग भर में थमे रहे प्रदेश व्यापी आह्वान पर निजी बसों के पहिए दुर्गम मार्गों के यात्री हुए परेशान, सरकार ने वार्ता में दिया 24 में से 15 मांगें मानने का आश्वासन

- यूनियन ने कहा, सात दिन में आदेश जारी नहीं हुए तो अनिश्चितकाल के लिए थम जाएंगे बसों के चक्के
- बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान तथा बस मालिक संघ की ओर से मंगलवार को 24 सूचीय मार्गों को लेकर प्रदेश स्तरीय आवाहन के तहत चक्राजम किया। इस दौरान कोटा में 30 हजार निजी बसों समेत प्रदेश में 30 हजार निजी बसों संचालन प्रभावित हुआ। इससे सरकार को भी डीजल संमिलन वाले करोड़ों के रेवेन्यू के नुकसान हुआ। वहीं दुर्गम रास्तों पर जाने वाले यात्रियों को ही आवाहन में परेशानी हुई।

बढ़ता राजस्थान



कोटा (का.स.)। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान तथा बस मालिक संघ की ओर से मंगलवार को 24 सूचीय मार्गों को लेकर प्रदेश स्तरीय आवाहन के तहत चक्राजम किया। इस दौरान कोटा में 30 हजार बसों समेत प्रदेश में 30 हजार निजी बसों संचालन प्रभावित हुआ। इससे सरकार को भी डीजल संमिलन वाले करोड़ों के रेवेन्यू के नुकसान हुआ। वहीं दुर्गम रास्तों पर जाने वाले यात्रियों को ही आवाहन में परेशानी हुई।

संभागीय अध्यक्ष नैरानन खान ने बताया कि मार्गपत्र को लेकर बुलाए जाने पर परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा के साथ वार्ता हुई है। जिसमें बस ऑपरेटर्स की 24 में से 15 मांगों पर सहमति बनी है। जिनको लेकर आगामी कार्यादान में आदेश जारी किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि सात दिवस में आदेश जारी किए जाने को आश्वासन दिया है। यदि सात दिवस में आदेश जारी नहीं किया जाता है तो पूरे राजस्थान की यूनीयन से बार्ता करके

आगे अनिश्चित काल के लिए चक्राजम किए जाने घोषणा की माफ करने की मांग की गई है। निजी बसों के पहिए थमे रहे इस कारण से यात्री बस स्टैंड पर बसों की तलाश करते रहे और जानकारी लेते रहे। बसों का संचालन नहीं होने के कारण कई यात्रियों को अपनी यात्रा टालनी पड़ी। वहीं निजी साधारण से भी यात्रा करनी पड़ी है। खान ने बताया कि बस ऑपरेटरों की ओर से ऑनलाइन अस्थाई परमिट के साथ-

साथ ऑफलाइन परमिट चालू रखने, बाह्यग्रस्त क्षेत्रों में दो माह का टैक्स माफ करने की मांग की गई है। निजी बसों के पहिए थमे रहे इस कारण से यात्री 2014 में तय किया गया था। इसके बाद कई बार टैक्स, डीजल, बोगा, टोल, पार्टिस और बसों की कीमत बढ़ चुकी है। इसके बावजूद भी अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में कियारह कम है। खान ने कहा कि राज्यीयकृत मार्ग पर निजी बसों की ओवरलेप की सीमा 25 किलोमीटर से बढ़ाकर 50

किलोमीटर किया जाना चाहिए। उन्होंने रस्तों के लिए लोक परिवहन सेवा के बकाया परमिट जारी करने की मांग की गई है।

उन्होंने बताया कि 24 सूचीय मार्गपत्र के तहत जो राजस्थान परमिट सिटीजनों को 50 प्रतिशत किए एवं जाने वाली छूट को निजी बसों में दी जाने वाली छूट को टैक्स में भी लागू करने और सब्सिडी को टैक्स में समाप्तीजन करने, अर्थात् ट्रांसपोर्ट परमिट की अवधि 24 घंटे रखने, रोडवेज की भी समय सारणी परिवहन विभाग से निजी बस ऑपरेटर की शर्त को 5 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने, एनसीआर क्षेत्र में सीनेजी या

बीएस 6 का इंजन लगाने पर एनसीआर क्षेत्र संचालन की परमिट 10 वर्ष तक बढ़ाने, लोक परिवहन सेवा, ग्रामीण सेवा, सिटी परमिट की बसों की टीपी की संख्या बढ़ाने, दो संभागों को जोड़कर परमिट जारी करने, राजस्थान परमिट से राज्यीयकृत मार्ग पर संचालित नहीं करने की शर्त हटाने संबंधित विभिन्न मांगों की गई है।

रोडवेज बस नहीं चलाए तो परमिट निजी बसों को दिया जाए : तो संभागीय अध्यक्ष खान ने बताया कि रोडवेज के पास 2600 बसें हैं और 8000 परमिट ले रहे हैं। जिसके कारण कई राज्यीय कृत मार्ग पर आम नागरिकों को यातायात का साधन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसलिए जिस मार्ग पर रोडवेज परमिट लोक बैठते हैं। बस नहीं चल रही है तो उन परमिट को जमा करवाना किया जाए। जिससे आम नागरिकों को यातायात का साधन उपलब्ध हो सके और सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो सके।



पीएम विश्वकर्मा योजनांतर्गत जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित



बढ़ता राजस्थान

निम्बाहेड़ा (नि.स.)। पीएम विश्वकर्मा योजनांतर्गत जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलक्टर आलोक रंजन को अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों तथा जिला स्तर से अनुसंधान प्रकरणों को जिला क्रियान्वयन समिति के समक्ष अनुमोदन देतु प्रस्तुत किया गया। साथ ही, योजना के अंतर्गत लार्जिट अवदानों का निस्तरण एवं जिला स्तर पर योगार्थी प्रकरणों को अधिकारी एवं विभिन्न कार्यालयों द्वारा संभाल किया गया।

जिला कलक्टर ने योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को विभागीय कार्यालयों से जुड़े 18 ट्रेडस में से दर्जी और राजमिस्ट्री ट्रेडस के आवेदन अनुसारित रूप से अंतर्धान क्राइटरिया पर प्रस्तुत किया गया। इसमें जिला स्तरीय अधिकारी एवं राजमिस्ट्री ट्रेड के आवेदन पत्रों का भौतिक संवायपत्र, ग्राम विकास अधिकारी एवं राजाविकास की समिति के संरुप निरीक्षण द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों के संवायपत्र करके आगे और आगे बढ़ाने के लिए जिला क्रियान्वयन समिति के समक्ष आनुमोदन देतु प्रस्तुत किया गया।

बैठक में जिला कलक्टर ने लाइब्रेरी आवेदनों के शीघ्र निरिकरण के निर्देश दिए। बैठक में वर्तमान में जिले में संचालित ट्रेनों से संरेख्य प्रयोग के लिए अनुसंधान में शामिल सभी लोगों को संकलिप्य करते हैं कि किसी भी कठिन विवरणीय परिवरत करने के लिए यात्रियों में हमारे आत्मविश्वास को, मनोवृत्त रखेंगे व समस्याओं से संबंधित करके आगे और आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग देते हैं। राजू भूर्ट राज्यीय अध्यक्ष शांत क्रांति जैन आवाक सभा, हेर्मन कोटार जैन आवाक सभा, भूलिंग कोटा ने बताया कि महाराजा श्री की प्रयोग से कोटा में भी लाखों बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा, इसके लिए श्री अखिल भारतवर्षीय सामाजिक निरीक्षक के द्वारा संधारणी शांत क्रांति जैन आवाक सभा विभागीय अधिकारी एवं विभिन्न कार्यालयों द्वारा संयोगिता के लिए आयोजित किया जाएगा।

जिला कलक्टर ने लाइब्रेरी आवेदनों के लिए निर्देश दिए। उन्होंने योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के लिए निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नि�र्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए निर्देश दिए।

जिला कलक्टर

